

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क्रमांक-718/2012

संस्थित दिनांक-31.08.2012

फाई. क्र.234503002052012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

अजाबसिंह पिता आशाराम ताराम, उम्र-45 वर्ष,
निवासी ग्राम चंदिया, थाना बैहर जिला बालाघाट।

— — — **आरोपी**// **निर्णय** //**(दिनांक 21/11/2017 को घोषित)**

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-दो के तहत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 06.07.2012 को दोपहर 02:00 बजे ग्राम चंदिया थाना बैहर अंतर्गत सरकारी हैंडपंप के पास लोकस्थान में फरियादी नंदराम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी नंदराम को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा फरियादी नंदराम को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी नंदराम ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम चंदिया में रहता है तथा कास्तकारी करता है। दिनांक 06.07.12 को करीब 02:00 बजे वह सरकारी हैंडपंप पर पानी लेने गया था, तभी उसे पड़ोस के अजाबसिंह ने आवाज देकर बुलाकर कहा कि उसके कुएं में भी वह पानी भर दे, तब उसने पानी भरने से मना किया, तो पानी नहीं भरता कहकर उसे माँ-बहन की अश्लील गाली-गलौच कर लकड़ी से बांये पेट, पसली, बांये हाथ की कोहनी, बांये पैर की पिण्डली में मारपीट किया, जिससे उसे चोटें आईं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिये गये, घटनास्थल का मौका नक्शा एवं जप्ती की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 99/12 दिनांक 16.08.12 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी अजाबसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा

फंसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न हैं:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 06.07.2012 को दोपहर 02:00 बजे ग्राम चंदिया थाना बैहर अंतर्गत सरकारी हैंडपंप के पास लोकस्थान में फरियादी नंदराम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी नंदराम को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी नंदराम को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

-विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 03

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05- साक्षी नंदराम अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो-तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह हैंड पंप पानी भरने के लिए गया था, तो आरोपी ने अपने पास बुलाया और उसके कुएं में पानी हैंड पम्प से भरने के लिए कहा, तो उसने पानी भरने से मना किया, तब आरोपी ने लकड़ी लेकर उसे मारपीट की तथा दाई-माई की गंदी गाली दे रहा था, जो उसे सुनने में बुरी लगी। आरोपी ने उसे पैर और पसली पर लकड़ी से मारपीट की थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में किया था, जो प्रपी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था। घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी-2 है,, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में कराया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06- साक्षी नंदराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसे घटना का समय ध्यान नहीं है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना का दिन और तारीख ध्यान नहीं है। घटना गर्मी के समय की है। यह स्वीकार किया है कि घटना बाजार के दिन शुक्रवार की थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है, कि आरोपी अजाबसिंह बाजार जाने के लिए तैयार होकर निकला था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने शराब के नशे में आरोपी को दाई-माई की अश्लील गालियां दिया था और वह शराब के नशे में गिरा था, किन्तु यह स्वीकार

किया है कि वर्तमान में उसकी पत्नि उसके साथ में नहीं रहती है। यह अस्वीकार किया है कि उसकी पत्नि का संबंध आरोपी से होने के शक के आधार पर झगड़ा करता था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि गांव वाले के बताये अनुसार पत्नि को डाट-डपट करता था, आरोपी के घर में एक किराना दुकान है, उसने अपनी पत्नि को उस दुकान में जाने से मना कर रखा है।

07— साक्षी नंदराम अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि शक के आधार पर वह अपनी पत्नि और आरोपी के साथ वाद-विवाद करता था, आरोपी के कुएं में हर समय पर्याप्त पानी रहता है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने हैण्ड पंप से आरोपी के कुएं में पानी भरवाने वाली बात आरोपी द्वारा कही जाना बताया है झूठी बताया है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मौका-नक्शा प्रपी-2 उसके समक्ष तैयार नहीं किया गया है, प्रपी-2 पर हस्ताक्षर पुलिस वालों के कहने पर थाने पर किया था, वह रिपोर्ट करने सहगूसिंह के साथ गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने अपने जीजा के कहने पर रिपोर्ट दर्ज करवाया था, उसने रिपोर्ट नहीं लिखवायी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सहगूसिंह के साथ आज भी वह बयान देने आया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह सहगूसिंह के बताये अनुसार बयान दे रहा है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि सहगूसिंह और आरोपी की पहले से लड़ाई है।

08— साक्षी जयवंतीबाई अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना वर्ष 2012 के शाम की ग्राम चंदिया की है। घटना के समय उसे उसकी भाभी ने फोन करके बताया कि उसके भाई को आरोपी ने मारपीट किया है, जिसके बाद वह ग्राम चंदिया पहुँची तो देखी कि उसके भाई नंदराम के हाथ तथा पैर में चोटें थी। नंदराम ने उसे बताया था कि आरोपी अजाबसिंह ने लकड़ी से उसके साथ मारपीट की थी। फिर उन लोगों ने थाने में घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी, घटना की जानकारी उसे गांव वालों ने दिये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसे उसके भाई की तबीयत खराब होने की सूचना दिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी नंदराम दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, जो उसके मन में आता है वह बोल देता है, उसके भाई नंदराम को किसने मारपीट किया था, उसे मालूम नहीं है। साक्षी के अनुसार उसे गांव वालों ने बताया था।

09— साक्षी हरनामसिंह अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी अजाबसिंह के द्वारा ग्राम चंदिया में पेश करने पर एक तेंदु की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.06 के ए

से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, परन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.06 लगायत प्र.पी.07 तक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर थाने में किये थे तथा पुलिस ने उससे किस संबंध में हस्ताक्षर करवाये थे उसे नहीं मालूम।

10— साक्षी सहंगूलाल अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब पांच वर्ष पूर्व ग्राम चंदिया में रात्रि 7:00 बजे की है। घटना के समय आरोपी ने प्रार्थी नंदराम के साथ मारपीट किया था, जिसकी जानकारी उसे बाद में हुई थी। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने घटना नहीं देखी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह सुनी-सुनाई बात बता रहा है, उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने घटना नहीं देखी थी, घटना की जानकारी उसे सही दिये थे या गलत दिये थे उसे इसकी जानकारी नहीं है।

11— साक्षी गुहरी अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है तथा प्रार्थी नंदराम को भी जानता है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 06.07.2012 के करीब 02:00 बजे की है, आरोपी अजाबसिंह ने नंदराम को गंदी-गंदी गालियां दिया था, आरोपी ने नंदराम के साथ लकड़ी से मारपीट किया था, आरोपी ने प्रार्थी नंदराम को कहा था कि यदि उसके नाम से रिपोर्ट करेगा तो उसे जान से खत्म कर देगा की धमकी दिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

12— साक्षी सवनीबाई अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानती है तथा प्रार्थी नंदराम को भी जानती है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 06.07.2012 के करीब 02:00 बजे की है, आरोपी अजाबसिंह ने नंदराम को गंदी-गंदी गालियां दिया था, आरोपी ने नंदराम के साथ लकड़ी से मारपीट किया था, आरोपी ने प्रार्थी नंदराम को कहा था कि यदि उसके नाम से रिपोर्ट करेगा तो उसे जान से खत्म कर देगा की धमकी दिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-04

पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिल गई है, इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है।

13— साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 07.07.12 को सी.एच.सी बैहर में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक महिपालसिंह क्रमांक 145 थाना बैहर द्वारा आहत नंदराम को परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसके परीक्षण पर उसने आहत नंदराम को चोट क्रमांक 01—एक मुंदी हुई चोट बांये हाथ पर जो लाल नीले रंग, चोट क्रमांक 02—एक मुंदी हुई चोट बाईं पसली पर लाल नीले रंग की तथा चोट क्रमांक 03— एक मुंदी हुई चोट बाईं जांघ पर लाल नीले रंग की होना पाया था। उसके मतानुसार आहत को भर्ती की सलाह दी गई, जिसने भर्ती होने से इंकार किया। आहत को बाईं पसली के एक्स-रे की सलाह दी गयी। उक्त चोटें किसी सख्त व खुरदुरी वस्तु से पहुँचायी गई है, जो उसके परीक्षण के 04 से 24 घंटे के अंदर की है तथा सात दिन के अंदर ठीक हो सकती है, यदि कोई कॉम्प्लिकेशन न हो तो। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 08.07.12 को नंदलाल वल्द किशनलाल के बांये तरफ की छाती का एक्स-रे लिया था। उक्त एक्स-रे प्लेट क्रमांक 351 है, जो आर्टिकल ए-1, जिसका अवलोकन करने पर पसलियों में कोई फ्रैक्चर होना नहीं पाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी तथा उक्त चोटें स्वकारित हो सकती हैं।

14— साक्षी कान्हूसिंग अ.सा.08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.07.2012 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 100/12 की केस डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रार्थी नंदराम की निशादेही पर तैयार किया गया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी नंदराम एवं गवाह गुहरीसिंह, सवनीबाई, महेश, समोला, नैवंती के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उसके द्वारा दिनांक 01.08.2012 को आरोपी अजाबसिंह द्वारा पेश करने पर ग्राम चंदिया में गवाह दशरू तथा बलवंत के समक्ष तेंदु की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा उक्त गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी.07 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय को प्रेषित किया गया था।

15— साक्षी कान्हूसिंग अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा घटनास्थल का मौका-नक्शा फरियादी के बताये अनुसार लेख न कर थाना बैहर में बैठकर अपने मन से तैयार किया गया था, उसके द्वारा फरियादी एवं गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिये गये थे, उसके द्वारा

आरोपी अजाबसिंह से गवाहों के समक्ष किसी प्रकार की जप्ती नहीं की गई थी और जप्ती पत्रक अपने मन से तैयार किया गया था, उसके द्वारा आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया गया था और गिरफ्तारी पत्रक अपने मन से तैयार कर लिया गया था। यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा फरियादी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध गलत विवेचना कर आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

16— प्रकरण में परिवादी नंदराम अ.सा.01 के अतिरिक्त अन्य कोई घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, जबकि घटना दिन के 02 बजे सार्वजनिक स्थल की है। न्यायालयीन कथन तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में नंदराम अ.सा.01 ने कुएं में पानी न भरने के कारण आरोपी द्वारा मारपीट करने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी के कुएं में हर समय पर्याप्त पानी रहता है तथा पत्नि से संबंध के शक के आधार पर उसका आरोपी से पूर्व का विवाद है। मात्र पुरानी रंजिश के तथ्य के आधार पर संपूर्ण घटनाक्रम को खारिज नहीं किया जा सकता, तथापि परिवादी के आरोपों के संबंध में पुष्टिकारक साक्ष्य का अभाव होने से घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। चिकित्सा साक्षी डॉ० आर०के० चतुर्वेदी अ.सा.04 की साक्ष्य से घटना के समय परिवादी की चोटों की पुष्टि होती है, परंतु साक्षी द्वारा यह भी स्वीकृत किया गया है कि चोटें स्वकारित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में प्रकरण में युक्ति-युक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी नंदराम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी नंदराम को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्त अजाबसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

17— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक तेन्दु की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

19— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

जिला बालाघाट